3-3-22	बहस सुनी गई। पत्रावली दिनांक 15-3-22 को पेश हो।
15-3-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित आदेश सुनाया नहीं जा सका वास्ते आदेश पत्रावली 22-3-22 को पेश हो।
22-3-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित आदेश सुनाया वादीगण का वाद खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

दावा / 2011
दिनांक 12.01.2011
1. राजकमल पिता भैरूलाल जाति
जिला बून्दी राज0।
2. लक्ष्मीनारायण पिता भैरू
इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3. भंवरीबाई बेवा
जिला बून्दी
4. लाडके

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

10/दावा/2011 पीठासीन अधिकारी
दायरा दिनांक 12.01.2011 श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. राजकमल पिता भैरूलाल जाति मीणा निवासी लाखेरी कलां तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. लक्ष्मीनारायण पिता भैरूलाल जाति मीणा निवासी लाखेरी कलां तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. भवंरीबाई बेवा भैरूलाल जाति मीणा निवासी लाखेरी कलां तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4. लाडकंवर पुत्री भैरूलाल पत्नि सत्यनारायण जाति मीणा निवासी केशवपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 89, 89 एवं 53 आर0टी0एक्ट।
उपस्थित :— 1.श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट(वादी)।

—: निर्णय :— **दिनांकः — 22.03.2022**

वादी द्वारा वादपत्र पेश कर कथन किया कि प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अनुसार संक्षिप्त तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार से है। कि ग्राम लाखेरी स्थित आराजी खसरा सं 3982, 4090, 4091, 4099 कुल किता 4 कुल रकबा 11.06 हैक्ट0 वादीगण राजकमल, लक्ष्मीनारायण पि0 भैरूलाल मीणा वली माता भंवरी बाई बेवा भैरूलाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। जिसमें से नामान्तकरण सख्या 391 दिनांक 14.11.2006 खसरा सं 4090, 4091, 4099 का सम्पूर्ण रकबा व खसरा सं0 3982/1 रकबा 0.59 हैक्ट0 कुल रकबा 7.33 हैक्ट0 सीलींग अधिनियम में अधिग्रहित की जाकर सरकारी खाते में दर्ज कर दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

गई।शेष खसरा सं0 3982 रकबा 3.73 हैक्ट0 वादी राजकमल व लक्ष्मीनारायण के खाते मे वर्तमान में दर्ज रिकॉर्ड है।

उपरोक्त भूमि के सन् 1995 से 2015 तक के लिये किये गये बन्दोबस्त से पहले पुराने खसरा संख्या 121, 262 मि0 व 264 थे एवं बंदोबस्त संवत् 2022 से 2041 के पहले के पुराने खसरा सं0 57, 104 मि0, 152, 155 थे।यह भूमि पूर्व में रघुनाथ वल्द माधो मीणा निवासी लाखेरी के खाते की थी। रधुनाथ के मरने के बाद उसके पुत्र चन्दा आत्मज रधुनाथ के खाते मे दर्ज हुई। चंदा के पुत्र संतान नहीं थी। उसने अपने जीवनकाल में ही भैरू आत्मज छगना को जाति रिवाज के अनुसार गोद लेकर अपना पुत्र बना लिया था। रघुनाथ आ0 माधो के मरने पर जो कृषि भूमि चंदा आ0 रघुनाथ के खाते मे दर्ज की गई थी यह भूमि चन्दा आ0 रघुनाथ के पुत्र संतान नहीं होने के कारण चंदा आत्मज रघुनाथ के देहान्त के पश्चात उसके खाते की भूमि गोद पुत्र भैरूलाल के खाते मे दर्ज हुई और भैरूलाल के देहान्त के पश्चात वादी क्रम 1 व 2 के खाते दर्ज हुई। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड मे गलती से भैरूलाल के पिता के स्थान पर भैरूलाल गोद पुत्र चंदा के बजाय भैरू आ0 रघुनाथ दर्ज कर दिया गया जबकि रघुनाथ जी का पुत्र चंदा था। इसी कारण रघुनाथ के देहान्त के पश्चात चंदा आ0 रघुनाथ के खाते वाद ग्रस्त कृषि भूमियां दर्ज हुई ओर चंदा आत्मज रघुनाथ के देहान्त के पश्चात् भैरू वल्द रघुनाथ के खाते मे दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त भूमि वादी क्रम 1 व 2 की पैत्रिक कृषि भूमि है जिस पर उनका जन्म से वैद्यानिक खातेदारी अधिकार है। वादी 1 व 2 सीलिंग न्यायालय के निर्णय के समय नाबालिग थे इसलिए विवादित आराजियात के संबंध में जन्मजात अधिकार होना का बिन्दु प्रकट नहीं कर सके किन्तु पैत्रिक संपति में उनके हिस्से की भूमि के कृषि लाभ से वादी क्रम 1 व 2 अपना भरण पोषण करने मे सक्षम थे और उनके पिता भैरूलाल अथवा माता श्रीमति भंवरी बाई पर आश्रित नहीं थे। ऐसी स्थिति में सीलिंग सीमा निर्धारण में वादी क्रम 1 व 2 का पृथक यूनिट माना जाकर निर्णय किया जाना चाहिए था पर ऐसा नहीं किया गया। उक्त गलत रूप से सीलिंग सरप्लस दर्ज कर दी गयी। वादीगण उक्त सीलिंग सरप्लस भूमि में से अन्य को आवंटित कर दी गई। भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर जो की उसके कब्जे मे है पर खातेदारी अधिकार चाहता है। राजस्व अधिकारी सीलिंग सरप्लस के कारण सिवायचक दर्ज जमीन पर से प्रार्थी का कब्जा धारा 91 के तहत हटाने की कार्यवाही कर रखी है। इसलिए वादीगण को खसरा संख्या 4090, 4091, 4099, 3982/1 कुल किता 4 कुल रकबा 7.33 है0 की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज करने व राज्य सरकार का नाम विलोपित किया जाकर राजस्थान राज्य को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वाद ग्रस्त कृषि भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करें।

प्रतिवादी राजस्थान राज्य की तरफ से पैराकार सरकार द्वारा जवाबपेश करते हुए सीलिंग सरप्लस की कार्यवाही को सही ठहराते हुए सिलिंग सरप्लस भूमि सिवायचक दर्ज होना सही बताया है एवं सिवायचक पर प्रार्थी के अनाधिकृत कब्जे को हटाने हेतु की गई कार्यवाही को भी नियमतः सही बताया है

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

सीलिंग सरप्लस भूमी के विषय मे कार्यवाही हेतु अधिकृत सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए इस न्यायालय को सीलिंग भूमि के संबन्ध में अधिकारिता नही है। बहस अधिवक्ता वादी सुनी। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो का दोहराव किया पैराकार सरकार द्वारा बावजूद अवसर बहस नहीं की पत्रावली का अवलोकन व बहस पर मनन करने पर पाया कि विवादित आराजीयात माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय बून्दी के प्रकरण संख्या 1/94 में निर्णय दिनांक 24.08.99 की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में सीलिंग सरप्लस भूमि दर्ज कर राज्यसरकार के नाम सिवायचक भूमि दर्ज हुयी जिसके विरूद्व वादीगण द्वारा एक अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे पेश किये जाने पर एकल पीठ द्वारा 06.08.09 को निर्णय सुनाते हुए अपील निरस्त करते हुए अति0 जिला कलक्टर बून्दी द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा माननीय राजस्व मण्डल के इस निर्णय के विरूद्व एक नजरसानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में पेश की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 23.11.2009 को अपने निर्णय द्वारा नजर सानी एडमिशन स्तर पर ही सारहीन होने से खारिज की गई।

इस प्रकार यह प्रकरण राजस्थान भूमि पर अधिक्तम जोतसीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 से संबंधित है जिसमें सक्षम अधिकारिता के न्यायालय,माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी ने प्रकरण सीलिंग सरप्लस का मानते हुए अधिशेष भूमि में खातेदार (वादी के पूर्वजों) का नाम विलुप्त करते हुए सिवायचक(राज्य सरकार) दर्ज करने के निर्देश/निर्णय दिया। इस निर्णय के विरूद्व अपील वनजरसानी भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा खारिज की जा चुकी है। सक्षम अधिकारीता के न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का विवेचन कर अन्य निर्णय पारित करने की अधिकारिता न्यायालय हाजा को नहीं है।

अतः प्रकरण राजस्थान कृषि भूमि पर अधिक्तम जोत सीमा अधिनियम 1973 से संबंधित होने एवं सक्षम न्यायालयों द्वारा पूर्व में निर्णित किये जाने तथा इस न्यायलय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण वादीगण का वाद–पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

FD डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम आरखेड़ी

व इजलास श्री सुशान्तर शर्मा (R.A.S.)

1 राजकमल आ. शंकुलाल जाति मीणा निवासी आरखेड़ी कला तहसील इन्द्रगढ़ बूंदी वादीगण बनाम 1 राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बूंदी (प्रतिवादी)

दावा बाबत 88.89.53 RTA

मुकदमा नम्बर 10/दावा/2011 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद-पत्र खारिज किया जाता है

बाबत खर्चा इन

निज मुबलिग फीसदी सालाना आज की तारीख

मुकद्दमें के मय सूद बशरह

से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22-3-2022 माह

सन को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी आरखेड़ी (बूंदी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned with CamScanner

2. लक्ष्मीनारायण आत्मज भैरूलाल जाति मीणा निवासी लाखेरीक..

3. मखीबाई बेवा भैरूलाल जाति मीणा निवासी लाखेरीकला

4. लाडकंवर पुत्री भैरूलाल जाति मीणा पत्नि सत्यनारायण निवासी केशवपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी.

- वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner